International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का पुनर्गठन एवं भविष्य

डॉ0 श्रीकान्त यादव

विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी।

पंचायत व्यवस्था का इतिहास भारत में बहुत पुराना है, आदिम समाज ने जब सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू किया सभवत: तब से ही पंचायत व्यवस्था शुरू हुई है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शासन के दिनों में भी पंचायतें पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई वे किसी न किसी रूप में बनी रही। स्वतंत्र भारत में सन् 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई है। सन् 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू ने नागरे (राजस्थान) में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करते हुए इसे "नये भारत के संदर्भ में अतिक्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम " बताया। उनका मानना था कि पंचायतें मजबूत हों तो गांव मजबूत होंगे, गांव से जिला, जिले से राज्य और राज्य से देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री के साथ में जन–जन को सत्ता की भागीदारी देने की स्व0 राजीव गांधी ने पहल की। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक नयी सोच के साथ कदम बढ़ाये।

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 199812341 है आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 240928 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित इस राज्य का देश के कुल क्षेत्रफल में 7.3 प्रतिशत हिस्सा शामिल है, जो इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5 वां बड़ा राज्य बनाता है। राज्य की लगभग 79 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर गांव छोटे हैं जिनकी औसत आबादी 3194 व्यक्ति प्रति पंचायत है। उत्तर प्रदेश का विभाजन वर्ष 2000 में हुआ, फलस्वरूप कुमॉयु एवं गढ़वाला क्षेत्र को मिलाकर "उत्तरांचल" नाम से एक पर्वतीय प्रदेश बन गया, जिसका हाल ही में नाम बदलकर "उत्ताखंड" हो गया है।

उत्तर प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिससे लोगों को शासन के करीब लाया जा सके। उत्तर प्रदेश में गांव स्तर पर करीब 52000 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत 97134 आबाद गांव आते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर 813 क्षेत्र पंचायतें तथा जिला स्तर 70 जिला पंचायतें है। 70 जिलों को 17 संभाग में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था की आधार भूत इकाई के रूप में ग्राम सभा विद्यमान है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, प्रदेश शासन द्वारा पहला ग्राम पंचायत अधिनियम वर्ष 1920 में बनाया गया था जिसके अन्तर्गत , सामाजिक एवं अपराधिक मामलों में न्याय की व्यवस्था हेतु ग्राम स्तरीय इकाईयां स्थापित की गई थी। इसके साथ ही, इनका काम सफाई एवं गांव के अन्य कार्यों में भी सुधार लाना था। इनके पंचों की नियुक्ति जिलाधीश द्वारा की जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, राज्य सरकार द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम प्रधान के निर्वाचन का प्रावधान किया गया, साथ ही पंचायत की शक्तियों एवं कार्यों का विस्तार भी किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1947 के अन्तर्गत, तीन निकायों ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत अदालत (विवादों के निपटारे के लिए) की रचना की गयी। दो प्रमुख फसलों की कटाई के बाद वर्ष में दो बार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का प्रावधान किया गया जिसमें पंचायत के बजट को भी पारित किया जाना शामिल

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

था। ये दो तिहाई बहुमत के साथ ग्राम पंचायत के प्रधान और उप–प्रधान को हटा भी सकती थी। ग्राम पंचायत के सदस्य का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यो द्वारा तीन वर्ष के लिए किया जाता था।

अन्य भारतीय राज्यो के विपरीत, उत्तर प्रदेश द्वारा 73 वे संविधानिक संशोधनो के अनुरूप नया पंचायती राज अधिनियम नहीं बनाया गया बरन् पूर्व से ही लागू दो अधिनियमों संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 और "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 में 73 वे संशोधन के अनुरूप संशोधन किया गया। इस प्रकार से संशोधित अधिनियम 22 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। इस संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य मे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम रही। गाव स्तर पर ग्राम पंचायत जनपद स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत।

ग्राम सभा :–

पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर आम लोगों को सशक्त करना है, जिससे वे विकास प्रक्रिया मे सहभागिता करे। ग्राम सभा, गाव के सभी योगय मतदाताओं की एक सभा है। इसे पंचायती राज संस्थाओं की आत्मा कहा गया है। ग्राम सभा जरूरतो के अनुसार यह तय करती है कि ग्राम पंचायत द्वारा विकास के कौन–कौन से कार्य किए जाएंगे। ग्राम सभा की बैठक मे इसके सदस्य, ग्राम पंचायत के निर्णयो की समीक्षा कर सकते है और उन पर प्रश्न भी पूछ सकते है तथा ग्राम पंचायत के बजट, वार्षिक वित्तीय लेखा–जोखा तथा व्यय पर विचार विमर्श कर सकते है।

ग्राम पंचायत :–

ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय है, जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से गठित किया जाता है। जो कि एक प्रधान और पंचों (9 से 15 सदस्य) को शामिल कर बनती है। सदस्यों को संख्या किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर निम्नवत तय की जाती है–

जनसंख्या	पंचो की संख्या
1000 की जनसंख्या तक	9
1000 से 2000 की जनसंख्या पर	11
2000 से 3000 की जनसंख्या पर	13
3000 से अधिक जनसंख्या पर	15

ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों मे विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत मे तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव (सिक्रेटरी) होता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए निम्न समितियां गठित की जाती है–

1. नियोजन एवं विकास समिति : इसका कार्य ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना तथा कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो का संचालन करना है.
2. निर्माण कार्य समिति : सभी निर्माण कार्य करना एवं कार्य की गुणवत्त तय करना ;

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

3. शिक्षा समिति :प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी कार्य ;
4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति : चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार एवं समाज कल्याण, विशेषकर महिला एवं बालकल्याण योजनाओं का संचालन तथा अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछडा वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण ;
5. प्रशासनिक समिति : पंचायत कर्मियो एवं राशन की दुकान सम्बन्धी समस्त कार्य,
6. जल प्रबन्धन समिति : राजकीय नलकूप का संचालन एवं पेयजल व्यवस्था।

प्रत्येक समिति मे एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते है, जिनका निर्वाचन ग्राम पंचायत के सदस्यो द्वारा अपने बीच मे से किया जाता है। प्रत्येक समिति मे अध्यक्ष का चयन प्रधान, उपप्रधान अथवा पंचायत सदस्यो से होता है। प्रत्येक समिति में एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा एक पिछड़े वर्ग का सदस्य होता है। पारदर्शिता की दृष्टि से ग्राम स्तर पर किये जाने वाले समस्त कार्य सम्बन्धित समितियों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

भविष्य :– नवीन पंचायती राज व्यवस्था इतने लम्बे कार्यकाल के बाद भी अपने उद्देश्यो की पूर्ति मे किन अभावो के कारण कोई ठोस शुरूआत नही कर सकी है। उसके क्रियान्वयन मे किस प्रकार की समस्याए उठ रही है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने में ये संस्थाएं किस सीमा तक योगदान कर पा रही है। यदि इन तथ्यो की अनदेखी की गई तो नवीन व्यवस्था में वर्णित दायित्वो को ग्रम पंचायतें प्रभवी ढग से पूरा नही कर सकेगी और उनका स्वरूप दिन –प्रतिदिन विकृत होता जाएगा।

उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए समय–समय पर किए गए अध्ययनो से ज्ञात होता है कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था द्वारा अनेक प्रकार के अभावो के निराकरण हेतु प्रभावी कदम नही उठाए गए तो नवीन पचायती राज संस्थाओ के अस्तित्व और औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है।

नई पचायती राज व्यवस्था से यह अपेक्षा थी कि ग्राम पंचायतें अपने विकास कार्यक्रम स्वय बनाएगी तथा उनका संचालन भी स्वय ही करेगी। यह व्यवस्था लागू करते समय यह मान लिया गया था कि जो पचायत प्रतिनिधि चुनकर आयेगे वे क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी विषयों से भिज्ञ होगे किन्तु काफी बड़ी संख्या मे चुने हुए प्रधान उप–प्रधान तथा पचायत सदस्यो की भूमिका ऐसी नही लगती। परिणाम स्वरूप गावो की आवश्यकताओ के अनुरूप विकास कार्य न होकर सरकारी अधिकारियो की सोच तथा लक्ष्यो की पूर्ति के आधार पर योजनाए क्रियान्वित की जा रही है जो पचायती राज व्यवस्था के मुख्य उद्देश्यों से दूर होती जा रही है।

आज पंचायती राज व्यवस्था राजनीति का केन्द्र बन गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पचायत और जिला पचायत सभी स्तर पर राजनीति से ओत–प्रोत व्यक्ति होते है। इस प्रकार राज्य की अधिकाश ग्राम पंचायतो मे ग्राम प्रधान, उप–प्रधान तथा पंचायत सदस्य आमने–सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मे ग्राम पंचायतें सामूहिक निर्णय, सामूहिक उत्तरदायित्व का जन–सहभागिता के आधार पर क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमो को सही ढग से क्रियान्वित नही कर पा रही है।

निष्कर्ष :– इस नवीन पचायत विधि सशोधन द्वारा पचायतों के मध्यम से ग्रामीण विकास की जो सुखद कल्पना की है उसका पूरा होना एक आसान कार्य नही है। इसके प्राप्त होने मे कई पंचवर्षीय योजनाऐ लग

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 09, September 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सकती है, लेकिन यदि सबल राजनैतिक इच्छा, दृढ़ निश्चिय और कठोर अनुशासन के साथ हर स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियो/व्यक्तियो का सहयोग प्राप्त होता है और वह अपने अथक परिश्रम से प्रयासरत रहते है, तो पचायतो से की गई अपेक्षाए अवश्य पूर्ण हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. पंचायती राज व्यवस्था – आवश्यकता, महत्व समस्या का सुझाव Research Journal of Humanities and Social Science . ISSN 0975-6785 (Online)
2. अग्रवाल , प्रमोद कुमार, भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा प्रकाशन दिल्ली 2003।
3. द्विवेदी, राधे श्याम, मध्य प्रदेश पचायती राज एव ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ प्रकाशन , भोपाल 2005
4. सिसोदिया, भतेन्द्र सिंह – पंचायती राज अनुसूचित जनजाति, महिला नेतृत्व 2000
5. सिह, एस0के0 पंचायती राज फाइनेन्स इन मध्य प्रदेश, नई दिल्ली , 2004
6. तोमर, संजय, ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, 2017
7. उत्तर प्रदेश एक परिचय : राजनारायण द्विवेदी एम0सी0 ग्रो हिल पब्लिकेशन